संoसंo–9/आo–7–22/2015 – 920(9)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

जिला पदाधिकारी समस्तीपुर के पत्रांक 1559 दिनांक– 11.04.2003 तथा सिविल सर्जन, समस्तीपुर के पत्रांक 1270 दिनांक– 15.05.2003 के द्वारा सूचित किया गया है कि डा० (श्रीमती) जयश्री सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, रोसड़ा, समस्तीपुर के विरूद्ध अपने कार्य स्थल से लम्बी अवधि से गायब हैं, तथा कार्य के प्रति लापरवाह रहने के कारण विभागीय संकल्प संख्या–1281(9) दिनांक– 04.11.2010 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. संचालन पदाधिकारी के समक्ष डा० (श्रीमती) जयश्री सिन्हा कभी भी विभागीय कार्यवाही के सुनवाई क्रम में उपस्थित नहीं हुए, और प्रेस विज्ञप्ति एवं निबंधित डाक के माध्यम से भी सूचित किया गया। आरोपित चिकित्सा पदाधिकारी के विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति का आरोप प्रमाणित पाते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा अधिगम समर्पित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम की छाया प्रति देते हुए डा० (श्रीमती) जयश्री सिन्हा से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई , तथा पुनः प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कारण पृच्छा मांगा गया, तथा कतिपय पत्रों के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। उन्हें स्मारित किया गया। निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी आरोपित चिकित्सा पदाधिकारी का प्रत्युतर अप्राप्त रहा ।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम एवं द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने के कारण लम्बी अवधि से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपिस्थति के लिए "बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के आलोक में" डा० (श्रीमती) जयश्री सिन्हा को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया जिस पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त की गई ।

5. अतः डा० (श्रीमती) जयश्री सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, रोसड़ा, समस्तीपुर लगातार पॉच वर्षो से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है ।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

<u>आदेश</u> :– संकल्प की प्रति डा० (श्रीमती) जयश्री सिन्हा एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: 920(9) /स्वा0, पटना , दिनांक: 06/09/2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी समस्तीपुर/क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य दरभंगा प्रमंडल दरभंगा/सिविल सर्जन समस्तीपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा० (श्रीमती) जयश्री सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, रोसड़ा, समस्तीपुर तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2,3,5,7,8,10,11,12,17 एवं 18 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

D:\Sweta-Section-9-01-11-12\SWETA SHARMA 2016\Sankalp 2016.docx